

11757



भारत सरकार  
(वित्त मंत्रालय)  
कार्यालय आयकर आयुक्त  
13-ए, सुभाष रोड, देहरादून

सेवा में,

उत्तराखण्ड आत्मज्ञान जन उत्थान समिति,  
सहस्रधारा रोड, नियर एस0 जी0 आर0 आर0  
अरण्य विहार, देहरादून।

विषय : आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के अधीन कर मुक्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण।

ज्ञातव्य है कि उपर्युक्त संस्था को आयकर आयुक्त देहरादून ने अपने दिनांक 14.11.2007 आदेश संख्या सी.सं. 19(38) /कर मुक्ति/देहरादून/2006-07/तक./7766 द्वारा दिनांक 10.04.2007 से दिनांक 31.03.2010 तक की अवधि के लिये आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी के अन्तर्गत कर मुक्ति का प्रमाण-पत्र द्वारा धारा 80 जी के अन्तर्गत प्रदान की गई कर मुक्ति को दिनांक 01.04.2010 से नवीकृत किया जाता है।

1. आदेश संख्या सी. सं उपरोक्त दिनांक 14.11.2007 में वर्णित सभी शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाए।
2. संस्था/न्यास के उद्देश्य, नियमों व संविधान में होने वाले किसी भी संशोधन या परिवर्तन की सूचना इस कार्यालय को परिवर्तन/संशोधन की तिथि से एक सप्ताह के भीतर दी जाए।
3. आय-व्यय के लेखों की प्रति सम्बन्धित आयकर अधिकारी/सहायक आयकर आयुक्त/आयकर उपायुक्त के समक्ष प्र प्रति वर्ष प्रस्तुत की जाये।
4. यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि सोसायटी/ट्रस्ट अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है तो ऐसी स्थिति में सोसायटी/ट्रस्ट को जारी किये गये इस कर मुक्ति प्रमाण पत्र को कभी भी इस कार्यालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है।



आर0 के0 शर्मा  
(आर0 के0 शर्मा)  
आयकर आयुक्त, देहरादून

1. आयकर अधिकारी/सहायक आयकर आयुक्त/आयकर उपायुक्त/वार्ड/सर्किल- 2, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. अपर आयुक्त/संयुक्त आयकर आयुक्त रेन्ज- 2, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य आयकर आयुक्त, देहरादून को सूचनार्थ।

(आविद अली)

आयकर अधिकारी (तकनीकी)  
कृते आयकर आयुक्त, देहरादून



गोविन्द राम  
सस्थापक / अध्यक्ष  
आचार्य गोविन्द राम गोदियाल  
उत्तराखण्ड आत्मज्ञान जन उत्थान समिति  
(रजि० उ० प्र०) उत्तराखण्ड



सत्यमेव जयते

सौ.सं. 40(109)/निबन्धन/हरिद्वार/2006-07/तक. 10348

दिनांक 31-1-2007

भारत सरकार  
(वित्त मंत्रालय)

कार्यालय आयकर आयुक्त

13-ए, सुभाष रोड, देहरादून

सेवा में, उत्तराखण्ड आत्मज्ञान जन उत्थान

समितिके गोविन्द राम

चौ० प्रौ० जयश्री

हरिद्वार

विषय : आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12-कक में निबन्धन हेतु।

न्यास/संस्था का नाम एवं पता उत्तराखण्ड आत्मज्ञान जन उत्थान समितिके गोविन्द राम चौ० प्रौ० जयश्री हरिद्वार

दिनांक 06-06-2000 को न्यास/संस्था ज्ञापन द्वारा गठित उपर्युक्त न्यास/संस्था ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12-कक के अन्तर्गत निर्धारित फार्म में पंजीकरण हेतु आवेदन दिनांक 17-08-2005 को प्रस्तुत किया है जो कि निर्धारित समय के भीतर/04 वर्ष 02 माह और 11 दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया है। चूंकि न्यास/संस्था ने विलम्ब से पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत करने का पर्याप्त कारण नहीं दिया है इसलिए विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता। परन्तु धारा 12-कक (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत निबन्धन दिनांक 1-4-2005 से स्वीकृत किया जाता है।

2. आवेदन की प्रविष्टि कार्यालय में रखे गये धारा 12-कक के आवेदन रजिस्टर में प्रपत्र संख्या 21/05-06 पर की गई है।

3. यह प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है। यदि निम्नलिखित तीनों शर्तों में से किसी एक का भी उल्लंघन न्यास/संस्था के द्वारा किया जाता है तो यह प्रमाण पत्र रिटर्न दाखिल करने अथवा ऑडिटेड एकाउन्ट्स दाखिल करने की अन्तिम निर्धारित तिथि अथवा न्यास/संस्था के उद्देश्यों में परिवर्तन की तिथि से स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

- न्यास/संस्था आयकर अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित अवधि के भीतर प्रत्येक वर्ष संबंधित अधिकारी के समक्ष आयकर रिटर्न दाखिल करें।
- न्यास/संस्था द्वारा कार्यालय में ऑडिटेड एकाउन्ट्स की प्रति प्रत्येक वर्ष रिटर्न दाखिल करने की अन्तिम निर्धारित तिथि से पहले प्रस्तुत करें।
- यदि न्यास/संस्था के उद्देश्यों में कमी परिवर्तन किया जाता है तो न्यास/संस्था को फिर से धारा 12क के अन्तर्गत आवेदन इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

सील



वाय.एस. रावत  
(वाय.एस. रावत)  
आयकर आयुक्त  
देहरादून

प्रतिलिपि प्रेषित :-

- न्यास/संस्था उपरोक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- आयकर अधिकारी/सहायक आयकर आयुक्त/उपायुक्त आयकर/वार्ड/सर्किल टोडर हरिद्वार को यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त रेंज हरिद्वार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।  
मुख्य आयकर आयुक्त, उत्तरांचल को सूचनार्थ प्रेषित।



गोविन्द राम  
संस्थापक / अध्यक्ष  
आचार्य गोविन्द राम गोदियाल  
उत्तराखण्ड आत्मज्ञान जन उत्थान समिति  
(रजि० उ० प्र०) उत्तराखण्ड

गोविन्द राम  
आयकर अधिकारी (तकनीकी)  
कृते आयकर आयुक्त, देहरादून